

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 5 जुलाई 2017—आषाढ़ 14, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

मध्यप्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक  
( एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. ) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम, 2017

क्रमांक एफ 5-45/2017/1/55 राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय स्वशासी चिकित्सा/ दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम तथा स्नातक दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित, पूर्व से प्रवृत्त समस्त नियमों, निर्देशों तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

### नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम, 2017 है।  
यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—  
(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली ;

- (ख) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत हैं मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत शासकाय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय या दंत चिकित्सा महाविद्यालय ;
- (ग) "प्रवेश परीक्षा" से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (पूर्वस्नातक),
- (घ) "अर्हता परीक्षा" से अभिप्रेत है, एम.बी.बी.एस. (बेचलर ऑफ मेडिसिन एंड बेचलर ऑफ सर्जरी ) या बी.डी.एस.(बेचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु कम से कम 10+2 कक्षा की या उसके समकक्ष परीक्षा
- (ङ.) "राज्य शासन" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन ;
- (च) "श्रेणी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रिमिलेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी;
- (छ) "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है मिलेट्री पर्सन (एम.पी.), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), महिला जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है तथा विकलांग (पी.एच) जैसा कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है ;
- (ज) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग में सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी किया गया है ;
- (झ) "एम0सी0आई0" से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ;
- (ञ) "डी0सी0आई0" से अभिप्रेत है दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948, (1948 का 16) के अधीन गठित दन्त चिकित्सा परिषद् ;
- (ट) "काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है प्रवेश परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट एवं पात्रता के अनुसार राज्य शासन द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रक्रिया।
- (ठ) "रजिस्टर्ड अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है काउंसिलिंग के लिये निर्धारित प्रक्रिया में रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थी।
- (ड) "ऑल इण्डिया रिवरटेड सीटों" से अभिप्रेत है प्रदेश को वापस की जाने वाली ऑल इण्डिया कोटे की वह सीट जो ऑल इण्डिया काउंसिलिंग की अंतिम चरण की काउंसिलिंग के उपरान्त रिक्त रह गई हैं।
- (ढ) "लेफ्ट आउट सीटों" से अभिप्रेत है अंतिम चरण की राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के उपरान्त किसी भी कारण से रिक्त रह गई सीट ।
- (ण) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जिससे प्रदेश के शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध हैं।

3. सामान्य—

- (1) एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश, प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के समय, एम.सी.आई./डी.सी.आई./विश्वविद्यालय/राज्य शासन तथा भारत सरकार के प्रभावशील नियमों-विनियमनों तथा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन होगा।
- (2) यह नियम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में सीट आवंटन एवं प्रवेश के लिए सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों पर लागू होंगे :-  
 (क) एम.बी.बी.एस.पाठ्यक्रम - शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा एवं सागर।  
 (ख) बी.डी.एस. कोर्स - शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर।
- (3) यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय अथवा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई जानकारी छुपाई है एवं/अथवा असत्य जानकारी दी है तो दिया गया प्रवेश कभी भी महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
- (4) छात्र को दुराचरण, अनुशासनहीनता, लगातार बिना अनुमति के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है।
- (5) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आवेदन फार्म में मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी से संबंधित दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा।
- (6) काउंसिलिंग की प्रक्रिया कार्यालय आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा संपादित कराई जायेगी।

4. सीटों की उपलब्धता - महाविद्यालयवार एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की जानकारी राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग के लिये निर्धारित पोर्टल [www.dme.mponline.gov.in](http://www.dme.mponline.gov.in) पर उपलब्ध कराई जायेगी। सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है जिसे यथासमय निर्धारित पोर्टल [www.dme.mponline.gov.in](http://www.dme.mponline.gov.in) पर प्रदर्शित किया जायेगा।

- (1) कुल उपलब्ध सीटों में से पन्द्रह प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगीं, जिनके लिए आवंटन प्रवेश परीक्षा के आधार पर भारत शासन के स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल के द्वारा किया जायेगा।
- (2) भारत सरकार के नामांकित अभ्यर्थियों के लिए सत्ताईस सीट शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में तथा एक सीट स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आरक्षित रहेगी (तालिका- 1.1 देखें)। अनारक्षित श्रेणी की एक सीट स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में लक्षद्वीप के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेगी (तालिका 1.1 देखें)।

- (3) भारत सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों के लिए प्रवेश नियम 6(2)के अनुरूप शैक्षणिक एवं आयु संबंधी योग्यता होना अनिवार्य होगा।
- (4) भारत सरकार द्वारा किसी भी समय किसी श्रेणी विशेष में सीट नामांकित करने पर उक्त सीट संबंधित श्रेणी विशेष के लिये आरक्षित रहेगी।

#### 5. आरक्षण—

- (1) 20 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, 16 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति तथा 14 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षित रहेंगीं एवं शेष सीटें अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगीं।
- (2) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा। प्रमाण पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जायेगा।
- (3) दिव्यांग प्रवर्ग— ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित श्रेणी के हैं, के लिए प्रत्येक श्रेणी में तीन (3%) प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगीं। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।
- (क) एम.सी.आई. की अधिसूचना क्रमांक सं.भा.आ.प.-34(41) 2008-मेडि./54469, दिनांक 25 मार्च, 2009 के अनुसार ऐसी सीटें पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत (PH-1) के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जायेंगीं। 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच (50 प्रतिशत को शामिल कर) निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (PH-2) के बीच (50 प्रतिशत से कम) निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जायेंगे।
- उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त सीटें संबंधित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से भरी जायेंगीं।
- (ख) दिव्यांगों के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन (स्कूटनी) के समय प्रस्तुत करना होंगे। अभिलेख सत्यापन (स्कूटनी) के समय दोनों मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवंटित सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। जबलपुर से जारी प्रमाण-पत्र काउंसिलिंग के प्रथम चरण प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह की पूर्व की अवधि में जारी किया गया होना चाहिये।

(ग) एम.सी.आई. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी:-

(क) हाथ/हाथों से विकलांग; या

(ख) दृष्टि से विकलांग ; या

(ग) बहरापन; या

(घ) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

(घ) दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- i) अनुसूचित जनजाति दिव्यांग – पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार कम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनुसूचित जनजाति (ST OPEN) => अनुसूचित जनजाति दिव्यांग (ST PH)।
- ii) अनुसूचित जाति दिव्यांग – पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार कम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनुसूचित जाति (SC OPEN) => अनुसूचित जाति दिव्यांग (SC PH)
- iii) अन्य पिछड़ावर्ग दिव्यांग- पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार कम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अन्य पिछड़ावर्ग (OBC OPEN) => अन्य पिछड़ावर्ग दिव्यांग (OBC PH)
- iv) अनारक्षित दिव्यांग – पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार कम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनारक्षित (UR OPEN) => अनारक्षित दिव्यांग (UR PH)।  
\*ओपन से आशय उस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये उसी श्रेणी में आरक्षित सीट से भिन्न कोई सीट।

(4) सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) – सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत थलसेना/वायुसेना/नौसेना के सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिए प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।

(क) सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) के अंतर्गत निम्नलिखित पात्र हैं :-

(i) भूतपूर्व सैनिक जो कि मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

(ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो कि मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं हैं परन्तु सेवानिवृत्ति के बाद स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में अधिवासित हैं।

(iii) कार्यरत सैनिक जो कि मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

(iv) ऐसे कार्यरत सैनिक जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं हैं परन्तु प्रवेश परीक्षा की दिनांक वाले वर्ष की 01 जनवरी के पूर्व से मध्यप्रदेश में कार्यरत हैं।

भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत सेवानिवृत्त सैनिक एवं ऐसे सैनिक कर्मचारी भी सम्मिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गए हों (एवं वर्तमान में कार्यरत नहीं हैं)।

- (ख) उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त सीटें संबंधित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से ही भरी जायेंगी।
- (ग) सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) के अंतर्गत भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप 2-भाग (अ) अनुसार तथा मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी न होने की दशा में अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप 2-भाग (स) अनुसार संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

#### अथवा

अभ्यर्थी ऐसे सैनिक कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है एवं मध्य प्रदेश राज्य में सैनिक कर्मचारी के रूप में पदस्थ है अथवा मध्यप्रदेश के बाहर सैनिक कर्मचारी के रूप में पदस्थ है, ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी एवं सैनिक कर्मचारी होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रारूप 2- भाग (ब) अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

#### अथवा

अभ्यर्थी ऐसे सैनिक कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है जो मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी नहीं है परन्तु मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में प्रवेश परीक्षा की दिनांक वाले वर्ष की 01 जनवरी के पूर्व से कार्यरत है ऐसे उम्मीदवार को मध्यप्रदेश में स्थित इकाई में कार्यरत होने का प्रमाण-पत्र प्रारूप-2 भाग (ब) अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

- (घ) सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) प्रवर्ग अभ्यर्थियों हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- i) अनुसूचित जनजाति सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) - पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनुसूचित जनजाति (ST OPEN) => अनुसूचित जनजाति सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) प्रवर्ग (ST SN)।
- ii) अनुसूचित जाति सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) - पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनुसूचित जाति (SC OPEN) => अनुसूचित जाति सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) (SC SN)
- iii) अन्य पिछड़ावर्ग सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) - पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अन्य पिछड़ावर्ग (OBC OPEN) => अन्य पिछड़ावर्ग सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) (OBC SN)
- iv) अनारक्षित सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन)- पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनारक्षित (UR OPEN) => अनारक्षित सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) (UR SN)।

\*ओपन से आशय उस श्रेणी के सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) अभ्यर्थियों के लिये उसी श्रेणी में आरक्षित सीट से भिन्न कोई सीट।

टिप्पणी— सैनिक प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन) के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग— अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित श्रेणी के मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या नाति/नातिनों के लिए प्रवेश हेतु प्रत्येक श्रेणी में तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगीं। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।

(क) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम राज्य में संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो।

(ख) जो अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा (प्रारूप -4)। अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग का होने के लिए वैध प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।

(ग) उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त सीटें संबंधित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से ही भरी जायेंगीं।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग अभ्यर्थियों हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- i) अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग - पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनुसूचित जनजाति (ST OPEN) => अनुसूचित जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग (ST FF)।
- ii) अनुसूचित जाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग— पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनुसूचित जाति (SC OPEN) => अनुसूचित जाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग (SC FF)
- iii) अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग—पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC OPEN) => अन्य पिछड़ा वर्ग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग (OBC FF)
- iv) अनारक्षित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग— पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा। ओपन\* अनारक्षित (UR OPEN) => अनारक्षित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग (UR FF)।

\* ओपन से आशय उस श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग अभ्यर्थियों के लिये उसी श्रेणी में आरक्षित सीट से भिन्न कोई सीट।

(6) प्रवेश हेतु कुल सीटों में से प्रत्येक श्रेणी अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित श्रेणी में 30 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए रहेगा। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा, एवं संस्थावार नहीं होगा।

(7) ऐसे अभ्यर्थी जो किसी प्रवर्ग (मिलेट्री पर्सन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग) में प्रवेश हेतु पात्रता रखते हैं उन्हें उनकी श्रेणी की ओपन सीटों से भी पात्रता एवं मेरिट के अनुसार सीट आवंटन की पात्रता होगी।

(8) अभ्यर्थी इच्छानुसार अपनी श्रेणी के अधीन केवल एक प्रवर्ग, (मिलेट्री पर्सन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग) के अंतर्गत आरक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा।

(9) यदि आरक्षण अनुसार पात्र अभ्यर्थी किसी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जायेगी -

i) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

ii) अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

iii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जायेगी।

iv) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र उम्मीदवारों से की जायेगी।

6. पात्रता :-

(1) अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना चाहिये।



- (2) अभ्यर्थी एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा जारी क्रमशः **MEDICAL COUNCIL OF INDIA REGULATIONS ON GRADUATE MEDICAL EDUCATION, 1997 (AMENDED UPTO 10th MARCH 2017)** एवं **DENTAL COUNCIL OF INDIA REVISED BDS COURSE REGULATIONS, 2007 (Alongwith amendments)** के अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होना चाहिये।
- (3) अभ्यर्थी की आयु की गणना करने के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रमाण पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेज माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में जिन्होंने स्थानीय निवासी संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया गया हो, तो उनकी आयु के लिये प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेज पर विचार किया जा सकेगा।
- (4) पूर्व वर्षों में बी०डी०एस० में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के आधार पर मैरिट के अनुसार एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिये पात्र होगा।
- (5) ऑल इंडिया कोटे से रिवर्टेड सीटों के आवंटन के लिए निम्नलिखित रजिस्टर्ड अभ्यर्थी पात्र होंगे :-
- i) जो पूर्व के चरणों में आवंटित सीट पर प्रवेशित हों तथा ऐसे जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपग्रेडेशन का आर्षान दिया गया है।
  - ii) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व के चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो।
- (6) लेफ्ट आउट सीट के आवंटन हेतु पात्रता -
- i) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगे:-
    - क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो।
    - ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के काउंसिलिंग चरणों में च्वाइस फिलिंग (choice filling) नहीं की है।
  - ii) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे:-

- क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं ।
- ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है ।
- ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्यागपत्र दिया गया है ।

#### 7. फीस संरचना-

- (1) प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नीचे वर्णित फीस नियमित रूप से संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति में जमा किया जाना होगी :-

- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1). शैक्षणिक फीस                               | ₹ 50,000 /- प्रतिवर्ष      |
| 2). छात्रावास फीस                              | ₹ 12,000 /- प्रतिवर्ष      |
| 3). छात्र निधि                                 | ₹ 1000 /- प्रतिवर्ष        |
| 4). कॉशन मनी (बिना ब्याज के वापसी योग्य)-      | ₹ 3,000 /- (प्रवेश के समय) |
| 5). सुरक्षा निधि ( बिना ब्याज के वापसी योग्य)- | ₹ 10,000 /-(प्रवेश के समय) |

- (2) पात्र अभ्यर्थियों के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा । शैक्षणिक शुल्क का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा संबंधित संस्था को ऑनलाइन की जायेगी ।

#### (8) फीस वापसी :-

- (1) अखिल भारतीय कोटे से ऑल इण्डिया काउंसिलिंग से प्रवेशित छात्रों द्वारा आल इंडिया की काउंसिलिंग के द्वितीय चरण के अंतिम दिन सायं 5:00 बजे के पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संबंधित संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष फीस की राशि लौटाई जायेगी ।

- (2) राज्य कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग की द्वितीय चरण के अंतिम दिन सायं 5:00 बजे के पूर्व सीट छोड़ने

संबंधी सूचना लिखित में संबंधित संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष फीस की राशि लौटाई जायेगी। द्वितीय चरण के अंतिम दिन के पश्चात् सीट छोड़ने पर फीस वापसी संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

9. काउंसिलिंग कमेटी तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया -

आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग एवं उसकी समस्त व्यवस्थाओं के लिये संचालक चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी। समिति द्वारा समस्त अधिनियमों, विनियमनों एवं नियमों के अनुसार काउंसिलिंग की कार्यवाही की जायेगी। समिति की अनुशंसाओं के आधार पर आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा द्वारा काउंसिलिंग प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

काउंसिलिंग कमेटी की संरचना निम्नानुसार होगी-

1	संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश	अध्यक्ष
2	शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों के समस्त अधिष्ठाता के प्रतिनिधि,	सदस्य
3	शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य	सदस्य
4	काउंसिलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के फेकल्टी में से आरक्षित श्रेणी के तीन अधिकारी	सदस्य
5	संचालक चिकित्सा शिक्षा में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	सदस्य
6	मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर के नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
7	संयुक्त संचालक कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश	सदस्य सचिव
8	निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित एक सदस्य	सदस्य
9	प्रवेश एवं फीस विनियामक आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामांकित सदस्य	सदस्य
10	एसोसिएशन ऑफ प्रायवेट मेडिकल एवं डेंटल कॉलेज के अध्यक्ष द्वारा नामांकित दो सदस्य	सदस्य

काउंसिलिंग का कार्यक्रम एवं काउंसिलिंग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा समय-समय पर घोषित किये जायेंगे। इन्हें संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश की वेबसाईट [www.medicaleducation.mp.gov.in](http://www.medicaleducation.mp.gov.in) एवं काउंसिलिंग के लिये निर्धारित पोर्टल [www.dme.mponline.gov.in](http://www.dme.mponline.gov.in) पर प्रदर्शित किया जायेगा।

## 10. प्रवेश—

- (1) अभ्यर्थी को काउंसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटित हो जाने के उपरान्त संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन) / प्राचार्य के समक्ष अधिसूचित तारीख तथा समय पर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त ही प्रवेश मान्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्रारूप 1 में आवश्यक जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होना होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।
- (2) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश समिति गठित की जायेगी जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य, तथा चार चिकित्सा शिक्षक जिसमें कम से कम दो आरक्षित श्रेणी के चिकित्सा शिक्षक रहेंगे। यह समिति निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया अनुसार मूल अभिलेखों के सत्यापन की व्यवस्था महाविद्यालय स्तर पर करेगी। पात्र पाये जाने पर अभ्यर्थी को आवंटित पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा। अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच आवंटित संस्था में करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त होंगे।
- (3) अखिल भारतीय अथवा राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश हो जाने पर अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित मूल दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।
  - i) अर्हकारी परीक्षा हायर सैकेण्डरी 10+2 की मूल अंक सूची ;
  - ii) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा स्थाई जाति प्रमाण पत्र।
  - iii) आरक्षित प्रवर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक/विकलांग) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
  - iv) यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उस अंतराल का नोटराईज्ड (Notarized) शपथपत्र।
  - v) ग्रामीण सेवा बंधपत्र।
 संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य, अभ्यर्थी द्वारा जमा कराये गये मूल दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी को जारी करेंगे।
- (4) ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्राप्त नहीं करते हैं अथवा प्रवेश के उपरांत सीट से त्यागपत्र देते हैं, उनका प्रवेशित सीट पर दावा समपहत हो जाएगा तथा उन्हें दिया गया आवंटन/प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट के आवंटन की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।

- (5) महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रत्येक चरण के प्रवेशित छात्रों की सूची कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को भेजी जायेगी तथा यह सूची संबंधित कालेज की वेबसाइट तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।
- 11 राज्य को अखिल भारतीय कोटा की लौटाई गई कुल प्राप्त सीटों को राज्य कोटा की सीटों में सम्मिलित कर मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति अनुरूप वितरित किया जायेगा।

12. बंध पत्र का निष्पादन—

- (1) ग्रामीण सेवा बंधपत्र (बाण्ड)—अभ्यर्थी जिनका प्रवेश एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में हुआ है, उन्हें ग्रामीण सेवा हेतु बांड का निष्पादन करना होगा कि वह इन्टर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन अंतर्गत सेवा में रह कर निर्दिष्ट स्थान पर 1 वर्ष / 2 वर्ष (मुख्य मंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत लाभान्वित अभ्यर्थी के लिये 02 वर्ष) की अवधि तक कार्य करेगा/करेगी। बांड की राशि अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थी के लिए ₹ 10.00 लाख (कुल रू. दस लाख) होगी तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के छात्रों के लिए ₹ 5.00 लाख (कुल रू. पांच लाख) होगी (प्रारूप— 4)।

ग्रामीण सेवा बांड की शर्त राज्य कोटा, अखिल भारतीय कोटा एवं भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर एमबीबीएस कोर्स में प्रवेशित सभी छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।


- (2)सीट लीविंग बाण्ड— (क) राज्य कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को सीट छोड़ने का बंधपत्र (सीट लीविंग बाण्ड) निष्पादित करना होगा जिसमें लेख होगा कि यदि वह मध्यप्रदेश राज्य कोटे की काउंसिलिंग के द्वितीय चरण के अंतिम दिन को सायं 5.00 बजे के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप ₹ 10.00 लाख ( ₹ दस लाख) (एम0बी0बी0एस0 प्रवेशित अभ्यर्थी) एवं ₹ 5.00 लाख ( ₹ पांच लाख) (बीडीएस प्रवेशित अभ्यर्थी) की राशि संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करेगा। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त एम0बी0बी0एस0 प्रवेशित अभ्यर्थी को अगले तीन वर्षों तक प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी (प्रारूप—5)।

- (ख) अखिल भारतीय कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को सीट छोड़ने का बंधपत्र (सीट लीविंग बाण्ड) निष्पादित करना होगा जिसमें लेख होगा कि यदि वह ऑल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग के द्वितीय चरण के अंतिम दिन को सायं 5.00 बजे के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप ₹ 10.00 लाख ( ₹ दस लाख) (एम0बी0बी0एस0 प्रवेशित अभ्यर्थी) एवं ₹ 5.00 लाख ( ₹ पांच लाख) (बीडीएस प्रवेशित अभ्यर्थी) की राशि संबंधित महाविद्यालय की स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करेगा। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किए जायेंगे। इसके अतिरिक्त एम0बी0बी0एस0 प्रवेशित अभ्यर्थी को अगले तीन वर्षों तक प्रदेश के किसी भी शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी (प्रारूप-5)।
13. राज्य शासन, प्रवेश के किसी नियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में इन नियमों का प्रकाशित हिन्दी पाठ ही मान्य होगा।
15. मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश नियम, 2016 निरसित हो जायेंगे, परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.

## प्रारूप-1

प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी, संबंधी प्रपत्र  
(उम्मीदवार द्वारा भरा जाये)



मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम, 2017 को भलीभांति पढ़कर समझ हैं। मैं नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन स्कूटनी में भाग ले रहा/रही हूँ।



स्कूटनी में भाग लेने के लिए आज दिनांक .....को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुसार नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, अथवा आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाये। यह भी कि जानकारी नियमानुसार न होने पर किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी, बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

- (1) प्रवेश परीक्षा का रोल नं. : .....
- (2) प्रवीण्य सूची क्रमांक (ऑल इण्डिया रैंक) : .....
- (3) प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक : .....
- (4) उम्मीदवार का पूरा नाम : .....
- (5) माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता : .....
- दूरभाष/मोबाईल न. : .....
- (6.1) श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति : .....
- /अन्य पिछड़ा वर्ग)
- (6.2) प्रवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, विकलांग, ओपन) : .....
- .....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर, पूरा नाम व दिनांक

- (7) मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत किये हैं उनके सामने सही (चिन्ह) का चिन्ह लगायें  
 (स्कूटनी समिति सदस्य द्वारा चिन्हांकित किया जाये)

1. प्रवेश परीक्षा – टेस्ट एडमिट कार्ड ;
2. प्रवेश परीक्षा – की मूल अंक सूची ;



3. अर्हकारी परीक्षा हायर सैकेण्डरी 10+2 की मूल अंक सूची ;
4. आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र,
5. आरक्षित प्रवर्ग (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/सैनिक/विकलांक) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ।
6. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं का प्रमाण पत्र/ अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो ।
7. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा उस अंतराल का शपथपत्र ।
8. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र
9. अध्ययनरत अंतिम संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थी से इस आशय का वचनबंध लिया जाए कि वह निश्चित समयावधि में प्रमाण पत्र संस्था में जमा करा देगा)।
10. आय प्रमाण-पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र)।

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार समिति को उपलब्ध कराए गए मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख क्रमांक 01 से 10 का परीक्षण किया गया। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित /स्वप्रमाणित छायाप्रति के तीन सेट अभिलेख हेतु जमा करा लिए गए हैं। प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को नीचे उल्लेखित किया गया है।

सदस्य स्कूटनी समिति  
(नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों..... से काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है।

अध्यक्ष, स्कूटनी समिति  
हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम



## प्रारूप-2-अ

## मिलेट्री पर्सन संवर्ग (एम.पी.) हेतु प्रमाण पत्र

भूतपूर्व सैनिक

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
जो प्रवेश परीक्षा NEET UG वर्ष ..... के आधार पर  
..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री/कुमारी .....  
..... के पिता/माता हैं

- थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं। सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वह..... पद पर थे/थी। उनका सर्विस क्रमांक..... था। सेवा के दौरान वह स्थायी रूप से विकलांग हो गये हैं/सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्ष..... में हो चुकी है। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं/नहीं हैं (जो लागू न हो उसे काट दें)

स्थान.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक.....

.....

(कार्यालय सील)

## प्रारूप - 2-ब

## मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत सैनिक

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
 .....जो प्रवेश परीक्षा NEET UG वर्ष .....  
 .....के आधार पर .....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये  
 अभ्यर्थी श्री/कुमारी ..... के  
 पिता/माता हैं

अ- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....  
 .....के अधीन कार्यरत सैनिक हैं और मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में  
 पदस्थ हैं। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

अथवा

ब- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....  
 .....के अधीन कार्यरत सैनिक हैं और वह मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा  
 इकाई में पदस्थ हैं। वह मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हैं।

अथवा

स- थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस क्रमांक.....  
 .....के अधीन कार्यरत सैनिक हैं। वह मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी नहीं है  
 परन्तु मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में दिनांक..... से सेवारत हैं।

स्थान.....

हस्ताक्षर : आफिसर कमांडिंग.....

दिनांक.....

.....

(कार्यालय सील)

## प्रारूप-2-स

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में अधिवासित होने संबंधी प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक.....दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)..... जो प्रवेश परीक्षा NEET UG-वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमती (पिता/माता)..... के/कीपुत्र/पुत्री हैं, जो थलसेना/वायुसेना/नौसेना में .....पद,सर्विस क्रमांक..... के अधीन सेवारत रहकर सेवानिवृत्त हुए हैं । वह सेवानिवृत्ति (मृत्यु के प्रकरण में परिवार) के पश्चात् .....(स्थान),तहसील.....जिला.....में अधिवासित हो गए हैं।

स्थान-----

दिनांक-----

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

\_\_\_\_\_  
(कार्यालय सील)

## प्रारूप - 3

## स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रवर्ग हेतु प्रमाण पत्र

संदर्भ क्रमांक..... दिनांक.....

- 1- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....  
जो प्रवेश परीक्षा NEET UG वर्ष ..... के  
आधार पर ..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी श्री/कुमारी ..  
..... के पिता/माता हैं ।

तथा

श्री/श्रीमती (अभ्यर्थी के पिता/माता का नाम).....  
श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) ..... के पुत्र/पुत्री  
हैं।

तथा

श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) ..... का नाम मध्यप्रदेश के  
जिला ..... (जिले का नाम) में संधारित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी में  
क्रमांक..... पर पंजीकृत हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर :

(जिला कलेक्टर/जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत  
अधिकारी)

कार्यालय की स्पष्ट मोहर

.....

**प्रारूप-4**

**बंध पत्र**

रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाये  
मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों  
द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध पत्र

मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
..... निवासी ..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक  
पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं

2- मैंने मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश  
नियम, 2017 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3- मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूं ।

4- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूं कि :-

- अ. मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर  
विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।  
ब. यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि के लिए चिकित्सा  
सेवा करना मेरे लिए बंधनकारी रहेगा ।  
स. मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूं :-

- (1) यह कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों  
का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा ।
- (2) यह कि, विहित अवधि स्नातक पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष/दो वर्ष (मुख्य मंत्री मेधावी  
विद्यार्थी योजना के लाभांशित अभ्यर्थी के लिये 02 वर्ष) की शासकीय सेवा शासन  
द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में मैं शासन को ₹ 10.00 लाख ( ₹  
दस लाख मात्र) अनारक्षित वर्ग हेतु एवं ₹ 5.00 लाख ( ₹ पांच लाख मात्र)  
अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछडा वर्ग हेतु का भुगतान करने  
का वचन देती/देता हूं।
- (3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के  
अनुसार ही मुझे वापस किये जायेंगे।

द. यह कि, इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश  
मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का  
अधिकार शासन को रहेगा।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....

फोटो

**प्रारूप - 5****(शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा एवं ऑल इण्डिया कोटे से****प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)****सीट लीविंग बंध-पत्र**

रूपये 500/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाये  
मध्यप्रदेश के शासकीय चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बंध पत्र

- 1- मैं, ..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .....  
..... निवासी ..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में  
स्नातक पाठ्यक्रम में मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा  
महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम, 2017 के अंतर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत  
चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये  
मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश  
नियम, 2017 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।
- 3- मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती/करता हूँ कि मेरे द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग  
वर्ष.....में भाग लेकर आवंटित सीट पाठ्यक्रम .....  
.....तथा संस्था .....में प्रवेश लिया गया है ।
- 4- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-  
अ मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत  
अध्ययनरत रहकर पाठ्यक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।  
ब यह कि, मेरे द्वारा राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के अंतिम चरण के अंतिम दिन के पश्चात्  
/ऑल इंडिया काउंसिलिंग के द्वितीय चरण के अंतिम दिन के पश्चात् एवं पाठ्यक्रम पूर्ण  
होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मेरा प्रवेश उपरांत  
संस्था के द्वारा निष्कासन किये जाने की स्थिति में, मैं संबंधित चिकित्सा/दंत चिकित्सा  
महाविद्यालय की स्वशासी समिति को सीट लीविंग बांड राशि एमबीबीएस पाठ्यक्रम के  
लिये ₹ 10,00,000/- ( ₹ दस लाख ) एवं बीडीएस पाठ्यक्रम के लिये ₹ 5,00,000/-  
( ₹ पाँच लाख ) भुगतान करने का वचन देता हूँ /देती हूँ ।  
स- यह कि, सीट लीविंग बांड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में  
जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....

## तालिका 1.1

GOI SEATS IN GOVERNMENT AUTONOMOUS MEDICAL AND  
DENTAL COLLEGE – 2017-18

S.N o.	Name of Medical/Dental College	GOI
1.	G.M.C. BHOPAL	7+1*
2.	G.R.M.C. GWALIOR	06
3.	M.G.M. M.C. INDORE	03
4.	NSCB M.C. JABALPUR	08
5.	SS M.C. REWA	03
6.	B.K.M.C. SAGAR	00
7.	GOVT.DENTALCOLLEGE,INDORE	01
	TOTAL:-	29

\* Lakshadweep seat

संकेत :-

GOI = भारत सरकार द्वारा नामांकित